

हाईवे चैनल

□ वर्ष- 29 □ अंक- 181 □ रायपुर, शुक्रवार 24 जुलाई 2026 □ पृष्ठ-8 □ मूल्य- 2.50 रुपया • रायपुर • जगदलपुर से प्रकाशित RNI रजिस्ट्रेशन नं. 68139/98

वांगचुक ने आधी रात खत्म किया अनशन

जारी किया वीडियो संदेश: सरकार से मिले तीन लिखित आश्वासन

नई दिल्ली, 24 जुलाई (न्यूज चैनल)। नीट पेपर लीक मामले में देशभर के युवाओं में उपजे आक्रोश और राजनीतिक दलों के लगातार प्रदर्शनों के बीच सरकार एक्शन मोड में आ गई है। गुरुवार सुबह से लेकर देर रात तक सरकार ने कई बड़े फैसले लिए और कई घोषणाएं कीं। इसी घटनाक्रम के बीच, सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने अपने अनशन के 26वें दिन बीती रात लगभग 12:30 बजे अपना अनशन समाप्त कर दिया। सोनम वांगचुक ने जानकारी दी कि केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और लड़ाख की एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेता उनसे मिलने पहुंचे थे। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने का अनुरोध किया था। सांसदों और मंत्रियों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि नीट पेपर लीक और देश की परीक्षा प्रणाली के मुद्दे पर संसद में चर्चा की जाएगी। सोनम वांगचुक ने बताया कि पिछले दो दिनों से सरकार और उनके बीच बातचीत चल रही थी। वे सरकार से लिखित में आश्वासन चाहते थे, जिसकी वजह से उन्हें दो दिन अतिरिक्त अनशन पर बैठना पड़ा। आखिरकार, सरकार ने उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन दे दिया, जिसके बाद उन्होंने अनशन खत्म करने का निर्णय लिया।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के मुद्दे पर सोनम वांगचुक ने कहा कि सरकार इस बात का



कोई आश्वासन नहीं दे सकी कि इस्तीफा कब होगा। उन्होंने बताया कि उनके पास दो रास्ते थे- या तो वे कई हफ्तों तक भूख हड़ताल जारी रखते जिससे उनकी जान जा सकती थी, या फिर अनशन समाप्त करते। उन्होंने कहा- पिछले 2-3 हफ्तों से हजारों लोग उनसे कह रहे थे कि संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए उनका जीवित रहना जरूरी है।

धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न देना सरकार के लिए नुकसानदायक: उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा न देना सरकार के लिए खुद ही नुकसानदायक है। अगर वे इस्तीफा दे देते तो सरकार का नुकसान रुक जाता। सोनम वांगचुक ने कहा कि उनके लिए सबसे

सोनम वांगचुक के अनुसार, सरकार ने लिखित में ये मांगें स्वीकार की हैं-

- **छात्रों पर नहीं होगी कानूनी कार्रवाई:** जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले या 20 जुलाई को संसद चलो मार्च में शामिल होने वाले छात्रों और युवाओं के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई या प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज नहीं की जाएगी।
- **पीड़ित परिवारों को मुआवजा:** पेपर लीक की घटना की वजह से जान गंवाने वाले 20 से अधिक बच्चों के परिवारों को सरकार उचित मुआवजा देगी।
- **संसद में होगी पूरी बहस:** देश को संसद में इस पूरे मुद्दे, परीक्षा प्रणाली में सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की जवाबदेही तय करने पर विस्तार से बहस और चर्चा होगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

महत्वपूर्ण बात यह थी कि मासूम बच्चों पर कोई केस दर्ज न हो, क्योंकि उन्होंने लड़ाख में देखा है कि कैसे एफआईआर बच्चों का भविष्य बर्बाद कर देती है। अंत में, सोनम वांगचुक ने मांगें पूरी होने पर खुशी व्यक्त की और इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए सभी देशवासियों का धन्यवाद किया।

ब्रेकिंग न्यूज

मुख्यमंत्री साय का बड़ा बयान, कहा- उत्तीसगढ़ में भी लागू होगा यूसीसी, शीतकालीन सत्र में किया जाएगा पेश

रायपुर, 24 जुलाई (हाईवे चैनल)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समान नागरिक संहिता को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जरिस्टस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित कमेटी की बैठक होगी, जिसके बाद आने वाले शीतकालीन सत्र में इसे पारित किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कर्नाटक रवाना होने से पहले मीडिया से चर्चा में कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा कि कांग्रेसी कश्मीर की तरह पत्थरबाजी में उतर आए हैं। लोकतंत्र में प्रदर्शन का अधिकार सबको है, लेकिन कश्मीर में जैसे पत्थरबाजी होती है, कांग्रेसी भी वैसे ही पत्थरबाजी में उतर आए हैं। कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई तो होगी ही। वहीं अपने कर्नाटक दौरे के दौरान मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज कर्नाटक के सत्य साई ग्राम में स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस मौके पर सभी प्रबुद्धजनों से भी मुलाकात होगी।

मालदा कैप में बीएसएफ जवान ने की फायरिंग, दो साथियों की मौत

नई दिल्ली, 24 जुलाई (न्यूज चैनल)। गुरुवार को मालदा जिले के बैण्णवगर में बीएसएफ कैप में एक जवान ने घुसकर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें दो साथी जवानों की मौत हो गई। इस चौंकाने वाली घटना के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बीएसएफ सूत्रों के मुताबिक, दो जवानों की जान चली गई और एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मालदा के विधाननगर में बीएसएफ की 119वीं और 71वीं बटालियन का मुख्यालय है। गुरुवार दोपहर को शिवम मिश्रा ने वहां अपने साथियों पर कथित तौर पर फायरिंग की। वह छत्तीसगढ़ का रहने वाला है। मृतकों की पहचान बिहार के छपरा जिले के मांझी इलाके के रहने वाले 51 वर्षीय अजय कुमार सिंह और महाराष्ट्र के गढ़चिरोली के रहने वाले 37 वर्षीय अंबादर सुरेश डारगु के तौर पर हुई है।



चूहा- सुनती हो, दिल्ली में सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म कर दिया..!
चुहिया- हां जी, लेकिन अब कांकरोच जनता पार्टी क्या करेगी..!

अतिथि शिक्षकों को अल्टीमेटम

27 जुलाई तक नहीं लौटे तो सेवा होगी समाप्त, डीईओ को जारी किया निर्देश



रायपुर, 24 जुलाई (हाईवे चैनल)। स्कूल शिक्षा विभाग ने हड़ताल पर गए अतिथि शिक्षकों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 27 जुलाई 2026 तक कार्य पर नहीं लौटने वाले अतिथि शिक्षकों की अध्यापन व्यवस्था तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। इसके साथ ही उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था कर विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा। विभाग ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। हड़ताल के कारण नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से ही कई स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित हो रही थी, जिसके बाद सरकार ने यह अंतिम चेतावनी जारी की है।

स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार राज्यभर के शासकीय विद्यालयों में कार्यरत अतिथि शिक्षक पिछले कुछ दिनों से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इससे क्लासों में शिक्षकों की कमी हो गई और बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। विभाग ने सभी डीईओ को निर्देश दिए हैं कि वे शाला प्रबंध समितियों के माध्यम से हड़तालरत अतिथि शिक्षकों को सूचित करें कि वे 27 जुलाई 2026 तक अपने-अपने विद्यालय में वापस आकर अध्यापन कार्य शुरू करें। यह उनके लिए कार्य

पर लौटने का अंतिम अवसर होगा। विभाग ने अपने पूर्व जारी निर्देशों की कॉडिका 7.3 का हवाला देते हुए कहा है कि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जो अतिथि शिक्षक कार्य पर वापस नहीं आएंगे, उनकी अध्यापन व्यवस्था तुरंत समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही डीईओ को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सेवा समाप्ति के बाद स्कूलों में पढ़ाई प्रभावित न हो। इसके लिए रिक्त पदों पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए ताकि विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान न हो।

अधिकारियों का कहना है कि हड़ताल अपनी जगह है, लेकिन छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं हो सकती। नए सत्र में सिलेबस समय पर पूरा करना जरूरी है, इसलिए विभाग ने सख्ती दिखाई है। गौरतलब है कि बीती रात ही दुर्ग शहर के हिंदी भवन के सामने डटे प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षकों को हटाने के लिए खम्हाराडीह और स्थानीय पुलिस बल ने टेंट उखाड़ कर जब्त कर लिया। इसके बाद 23 जुलाई की सुबह जब अन्य शिक्षक धरनास्थल पर पहुंचने लगे, तो पुलिस ने उन्हें हिंस्रता में लेकर बसों में बैठ दिया और मौके से दूर भेज दिया। सरकार द्वारा ऐसा इनके आंदोलन को खत्म करने की रणनीति के तहत किया गया है। अब इन्हें अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है।

चुनाव कार्यालयों में अब प्लेसमेंट से होगी भर्ती, 18 साल से काम कर रहे 31 कर्मचारियों की सेवा खत्म

रायपुर, 24 जुलाई (हाईवे चैनल)। छत्तीसगढ़ में चुनावी कामकाज संभालने वाले कर्मचारियों के भविष्य पर संकट के बादल मंडरा गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने प्रदेश के सभी जिला निर्वाचन कार्यालयों को कार्यरत कर्मचारियों की सेवाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अब नियमित भर्ती की जगह एजेंसी और प्लेसमेंट के जरिए नियुक्ति की जाएगी। इस आदेश से सबसे ज्यादा झटका उन 31 अस्थायी कर्मचारियों को लगा है जो पिछले 17-18 सालों से लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों में दिन-रात काम कर रहे थे। वहीं 59 सविदा कर्मियों की सेवा अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है। कर्मचारी नेता विजय कुमार झा के अनुसार प्रदेशभर के जिला निर्वाचन

कार्यालयों में करीब 90 तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी लंबे समय से काम कर रहे थे। इनमें से आधे को सविदा और आधे को अस्थायी कर्मचारी घोषित किया गया था। पिछले 18 वर्षों में इन्होंने हर चुनाव में 24 घंटे काम कर निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारियों को संभाला है।

फरवरी के बाद से इन कर्मचारियों की सेवा वृद्धि का आदेश नहीं आया। पिछले 4 महीने से कई कर्मचारी बिना वेतन के इसी उम्मीद में काम कर रहे थे कि उनकी सेवा नियमित होगी। लेकिन अब सीईओ कार्यालय ने सविदा कर्मियों की सेवा 1 मार्च से 1 साल के लिए बढ़ा दी है, जबकि अस्थायी कर्मियों की सेवाएं अप्रत्यक्ष रूप से समाप्त कर उन्हें प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखने का निर्णय लिया है। कर्मचारी संगठनों ने



इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। विजय कुमार झा ने कहा कि जिस प्लेसमेंट उका प्रथा का विरोध विपक्ष में रहते हुए किया गया था, आज वही व्यवस्था लागू की जा रही है। उनके मुताबिक ठेकेदार के माध्यम से भर्ती होने पर वेतन कम मिलेगा, नीकरी की सुरक्षा नहीं रहेगी और पुराने कर्मचारियों का अनुभव बेकार चला जाएगा। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से

विपक्ष का हंगामा; लोकसभा की कार्यवाही 27 जुलाई तक स्थगित

नई दिल्ली, 24 जुलाई (न्यूज चैनल)। विपक्ष के नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। विपक्षी सांसद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। अब लोकसभा की अगली बैठक 27 जुलाई 2026 को सुबह 11 बजे होगी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने लोकसभा में अपनी बात रखी।

उन्होंने कहा, मैंने आज एक बार फिर किसी वेधगुंफाल जी से अनुरोध किया है कि जब हम सभी इस बात से सहमत हैं कि नीट पेपर चर्चा होनी चाहिए, तो हमें चर्चा करनी चाहिए।

पेपर लीक मुद्दे पर खरगे का पीएम मोदी पर हमला, कहा- संसद में बयान दें, एकातरफा मन की बात न करें

नई दिल्ली, 24 जुलाई (न्यूज चैनल)। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पेपर लीक मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा- जब संसद चल रही होती है तो प्रधानमंत्री को संसद के पटल पर बयान देना होता है, देर रात एक वीडियो बनाकर, संसद के बाहर एकातरफा मन की बात नहीं करनी होती। खरगे की यह

प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री मोदी के उस वीडियो संदेश के बाद आई है, जिसमें उन्होंने संसद में आले हफ्ते पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाने की बात कही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कांग्रेस प्रमुख ने कहा- प्रधानमंत्री जी संसद आने से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कर के आइएगा।



इस फैसले का कड़ा विरोध किया है। विजय कुमार झा ने कहा कि जिस प्लेसमेंट उका प्रथा का विरोध विपक्ष में रहते हुए किया गया था, आज वही व्यवस्था लागू की जा रही है। उनके मुताबिक ठेकेदार के माध्यम से भर्ती होने पर वेतन कम मिलेगा, नीकरी की सुरक्षा नहीं रहेगी और पुराने कर्मचारियों का अनुभव बेकार चला जाएगा। उन्होंने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ से

पेपर लीक पर मोदी कैबिनेट की 'सर्जिकल स्ट्राइक' 6 माह में सजा, 10 साल जेल और एक करोड़ तक जुर्माना

नई दिल्ली, 24 जुलाई (न्यूज चैनल)। केंद्र सरकार पेपर लीक और सरकारी परीक्षाओं में नकल रोकने वाले कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित बदलाव में दोषियों की जेल की सजा भी बढ़ाई जा सकती है। अभी अधिकतम 10 साल की सजा का प्रावधान है।

प्रस्तावित विधेयक पर शुक्रवार दोपहर केंद्रीय मंत्रिमंडल में चर्चा की जाएगी। पेपर लीक रोकने के लिए बनाए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों को रोकथाम) अधिनियम, 2024 में यूपीएससी, एसएससी और एनटीए जैसी सरकारी परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और संगठित गड़बड़ी रोकने का प्रावधान है। इस कानून में दोषियों के लिए 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान



है। नया विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गुरुवार देर रात की घोषणा के अनुरूप है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि केंद्रीय मंत्रिमंडल शुक्रवार को नकल रोकने वाले कानून को और मजबूत बनाने वाले विधेयक पर चर्चा करेगा और दोषियों के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा।

प्रधानमंत्री ने आधी रात को सोशल मीडिया पर जारी अपने वीडियो संदेश में कहा था कि चर्चा के आधार पर सोमवार को संसद के मौजूदा सत्र के दूसरे सप्ताह की शुरुआत में विधेयक पेश किया जाएगा और सरकार इसे जल्द से जल्द पारित कराने की कोशिश करेगी। मोदी ने

कहा, फास्ट ट्रैक कोर्ट और सख्त सजा के मुद्दे पर कल मंत्रिमंडल में चर्चा होगी और चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार पिछले ढाई महीने से मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब तक सरकार का मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करने पर रहा है कि छात्रों का एक साल खराब न हो। इसके लिए सरकार ने पूरी ताकत लगाकर 22 लाख छात्रों की परीक्षा दोबारा कराने का फैसला किया और इसके नतीजे भी जारी कर दिए गए।



प्रधानमंत्री ने देश को भरोसा दिया है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है और चर्चा की मांग की है। अगर हम चर्चा नहीं करेंगे तो देश में सही संदेश नहीं जाएगा। कांग्रेस

अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किए जा रहे विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन में शामिल हुए।

ऑनलाइन में 1000 क्विंटल चावल, दुकान में मिला सिर्फ 26 क्विंटल, पीडीएस दुकान का संचालक गिरफ्तार

भिलाई, 24 जुलाई (हाईवे चैनल)। शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है। भिलाई नगर के सेक्टर-7 स्थित पीडीएस दुकान में ऑनलाइन रिकॉर्ड पर 1000 क्विंटल से ज्यादा चावल दिख रहा था, लेकिन जब भौतिक सत्यापन हुआ तो दुकान लगभग खाली मिली। खाद्य विभाग की शिकायत पर पुलिस ने दुकान के संचालक और समिति अध्यक्ष धनंजय सिंह राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस और खाद्य विभाग की जांच में सामने आया कि रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में 1007.51 क्विंटल अरवा चावल का बड़ा अंतर है। इस पूरे मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम और पीडीएस नियंत्रण आदेश के उल्लंघन की बात भी सामने आई है। खाद्य विभाग की टीम ने जब सेक्टर-7 की शासकीय

उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण किया तो ऑनलाइन स्टॉक और वास्तविक स्टॉक में भारी गड़बड़ी मिली। ऑनलाइन रिकॉर्ड के अनुसार दुकान में 1034.01 क्विंटल चावल

उपलब्ध होना चाहिए था। लेकिन मौके पर जांच में केवल 26.50 क्विंटल चावल ही मिला। इस तरह 1007.51 क्विंटल अरवा चावल की कमी पाई गई। जांच टीम को दुकान में विवरण पंजी और अन्य दस्तावेज

तो मिल गए, लेकिन सबसे अहम स्टॉक पंजी गायब थी। संचालक से जब इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इसके बाद जांच समिति ने पंचनामा तैयार किया। खाद्य विभाग की शिकायत के आधार पर भिलाई नगर थाना में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया।

3 बाल अपराधी फरार, अंबिकापुर प्लेस ऑफ सेफ्टी सेंटर में हड़कप

अंबिकापुर, 24 जुलाई (हाईवे चैनल)। अंबिकापुर स्थित प्लेस ऑफ सेफ्टी सेंटर से तीन अपचारी बालक फरार हो गए। बाथरूम के रोशनदान का ग़्रिल उखाड़कर भाग खड़े हुए। छत्तीसगढ़ बिलासपुर का मामला अभी टंडा भी नहीं हो पाया है, अंबिकापुर में दूसरी घटना घट गई। बता दें, 16 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से कम उम्र के अपचारी बालकों को प्लेस ऑफ सेंटर में रखा जाता है। घटना आज सुबह की है। सेंटर में रखे गए अपचारी बालक सुबह योग के लिए उठे थे। योग के बाद बाथरूम में लगे रोशनदार का ग़्रिल उखाड़कर तीन अपचारी बालक फरार हो गए। फरार अपचारी बालकों की तलाश में पुलिस जुटी है। घटना गांधीनगर थाना क्षेत्र की है।

अंबिकापुर के कन्या परिसर रोड बिशुनपुर स्थित बाल संरक्षण गृह से 13 अपचारी बालक फिर भाग निकले थे। इस बार अपचारी बच्चों ने पुराने दरवाजे को क्षतिग्रस्त कर दिया और परिसर से बाहर निकलकर फरार हो गए थे। फरार हुए सभी बच्चे अलग-अलग अपराधों में निरुद्ध किए गए थे। घटना के दिन देर शाम पुराने दरवाजे को तोड़कर सभी एक साथ परिसर से बाहर आ गए। कुल 14 अपचारी बालक निकले थे, इनमें से एक को तत्काल पकड़ लिया गया था। शेष सभी अहाला फांदकर भाग निकले थे। लह एक माह में बाल संरक्षण गृह से बच्चों के भागने की दूसरी घटना थी।